छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 189/2006</u>

श्री राजेश बिस्सा, ... अपीलार्थी
21, सेन्ट्रल एवेन्यू (वेस्ट),
चौबे कालोनी,
रायपुर – 492-010 (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

<u>:: आदेश ::</u>

(31 जुलाई 2006)

अपीलार्थी श्री राजेश बिस्सा ने प्रथम अपीलीय अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर के आदेश दिनांक 10–02–2006 से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील आयोग के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 12–11–2005 आवेदन पत्र जो कि जन सूचना अधिकारी को 16–11–2005 को प्रस्तुत हुआ से अधिनियम के अंतर्गत डामर खरीदी में हुई अनियमितता के संबंध में वसूली की जानकारी कतिपय बिन्दुओं पर चाही थी। सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को दिनांक 5–1–2006 को सूचित किया गया कि वांछित जानकारी विभाग के 30 संभागों से संबंधित है अतः आवेदक संबंधित कार्यपालन अभियंता, जन सूचना अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को यह भी सूचित किया गया कि यह जानकारी मुख्यालय में न रखी जाकर कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में रखी जाती है। पुनः संबंधित संभाग के जन सूचना अधिकारी को आवेदन देकर अभिलेख के अवलोकन की सुविधा उठाने के लिए भी सूचित किया गया। अपीलार्थी ने इसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपील की, जिसमें कि 30 दिन के अंदर जवाब प्राप्त न होने का उल्लेख किया गया। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि अधिनियम की धारा–2(श्र) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी के अधीन समस्त संभाग है। अतः चाही गई जानकारी अपीलार्थी को संभाग से बुलाकर दी जाना चाहिए थी। सभी संभागों को जन सूचना अधिकारी के द्वारा लिखा भी गया था तथा कुछ संभागों से जानकारी भी प्राप्त हो गई थी। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी का तर्क अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई। आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई की गई तथा प्रस्तुत अभिलेखों एवं जवाब का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपने तर्क में प्रमुख रूप से दो बिन्दु प्रस्तुत किये हैं। प्रथम यह कि जन सूचना अधिकारी ने 16–11–2005 के पत्र का जवाब दिनांक 5–1–2006 को दिया, जो कि 30 दिन की निर्धारित अवधि के बाहर है। अतः जन सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंदर जवाब न मिलने पर दण्डित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी का दूसरा तर्क यह है कि 30 संभाग, लोक प्राधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ हैं, अतः सभी संभागों से जानकारी बुलाकर देने का दायित्व जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग का है। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक ने जिस प्रपत्र में जानकारी चाही थी, विभाग उस प्रपत्र में जानकारी नहीं रखता है। विभाग द्वारा जानकारी तैयार करने के लिए समुचित प्रयास किये गये, किन्तु संभव नहीं होने के कारण आवेदक को संक्षिप्त उत्तर दिया गया।

अपीलार्थी के आवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा विस्तृत जानकारी 30 संभागों से संबंधित मांगी गई थी, जो जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में नहीं रखी है। संबंधित जानकारी पृथक–पृथक जिलों के संभागों के अभिलेखों में रखी जाती है। अपीलार्थी को सरलता से जानकारी प्राप्त हो सके इसलिए आवेदक को सूचित किया गया था कि आवेदक संबंधित संभागों से जानकारी प्राप्त कर ले। सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जन सामान्य को सुविधा से स्थानीय स्तर की जानकारी तुरन्त उपलब्ध हो जावे। इसी कारण अधिनियम में एक लोक प्राधिकारी के अंतर्गत अनेक जन सूचना अधिकारी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यालय स्तर से जानकारी लेने में समय लगता है तथा अधिक आर्थिक व्यय भी होता है। यदि सभी जानकारी मुख्यालय से ही दिये जाने का उद्देश्य अधिनियम का हो तो जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा। जन सामान्य को छोटी–छोटी सूचनाओं के लिए विभाग के मुख्यालय में उपस्थित न होना पड़े, इसीलिए क्षेत्रीय स्तर पर जन सूचना अधिकारी बनाये जाने के प्रावधान रखे गये हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में विभाग ने संभागों से जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया है। आवेदक ने जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाही है वह विस्तृत प्रकार की है तथा क्षेत्रीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकती थी। अतः आवेदक को सूचित किया गया कि वे संभाग स्तर पर जानकारी प्राप्त कर लें। अपील ही इसी आधार पर अस्वीकार की गई थी। अपीलीय अधिकारी के निर्णय में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा भी आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया गया है। किन्तु सभी संभागों की सूचना प्राप्त होने में विलम्ब होता, इसीलिए आवेदक को संभागीय स्तर पर सूचना अधिकारियों से जानकारी लिये जाने की सूचना दी गई। स्पष्ट है कि सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावना से जानकारी नहीं दिये जाने का प्रमाण नहीं है। अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड किये जाने का आधार नहीं है। अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त